

[दि फाइनेंस बिल, 2003 का हिंदी अनुवाद]

# वित्त विधेयक, 2003

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए केन्द्रीय सरकार  
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

## अध्याय 1

### प्रारंभिक

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2003 है ।
- (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 96 [धारा 85 के खंड (ख) के सिवाय], 1 अप्रैल, 2003 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।

संक्षिप्त नाम और  
प्रारंभ।